



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए संख्या - 966/2026

अनिल कुमार
बनाम

.....याचिकाकर्ता

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : अशोक कुमार राय

प्रतिवादी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या = 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार राय तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह 30.11.1989 को ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त हुआ था तथा उसकी सेवा पुष्टि (कन्फर्मेशन) भी हो चुकी है, किन्तु उसे दिनांक 15.09.2025 से 30.09.2025 तथा 17.12.2025 से 31.12.2025 तक का वेतन भुगतान नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि याचिकाकर्ता के दावे का प्रथम दृष्टया परीक्षण प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा किया जाना आवश्यक है।
4. बार में प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक विस्तृत प्रत्यावेदन, रिट याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा इस आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ, प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष प्रस्तुत करे। उक्त प्रत्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रतिवादी संख्या 3 विधि के अनुसार याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करते हुए, आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह के भीतर निर्णय लें।

जनवरी 28, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"